

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल mpprd.finance@mp.gov.in  
क्रमांक/पं0रा10/बजट/2020-21/4384 भोपाल, दिनांक 21/04/2020  
प्रति,

- 1-संभागीय आयुक्त,  
भोपाल संभाग(भोपाल)/चंबल संभाग(मुरैना)/नर्मदापुरम संभाग(होशंगाबाद)/  
सागर संभाग(सागर)म.प्र.।
- 2-मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत-संबंधित  
म.प्र.।

विषय:- नवनियुक्त डाटा एन्ट्री आपरेटर(संविदा) के मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट की उपलब्धता बाबत।

-0-

विषयान्तर्गत लेख हैं, कि प्रदेश स्तर पर कुछ संभागीय आयुक्त कार्यालय तथा जिला पंचायतों में माह अक्टूबर, 2019 एवं उसके पश्चात संचालनालय स्तर से नव नियुक्त डाटा एन्ट्री आपरेटर(संविदा) के मानदेय/पारिश्रमिक के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखाशीर्ष 062-2515-00-101-9999-2474-V-11-025 में बी.सी.ओ. स्तर पर राशि 60.00 लाख का बजट उपलब्ध हैं। यह मद ग्लोबल होने के कारण पृथक से आबंटन जारी नहीं किया जा रहा है। तदनुसार बी.सी.ओ. स्तर पर उपलब्ध बजट से नियमानुसार संबंधितों के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त व्यय मांग संख्या-62-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-9999-योजना क्रमांक-2474-पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार-#11-वेतन भत्ते-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा।


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।

निरंतर...

// 02 //

- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिर्वायतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।


  
21/04/20  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21/04/2020

पू0क्रमांक/पं0रा0/बजट/2020-21/4385  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, म0प्र0ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय)म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. जिला कलेक्टर, जिला--संबंधित, म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक(प्रशासन) पंचायत राज संचालनालय म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैं।
8. निज सहायक, संचालक, पंचायत राज संचालनालय म.प्र.भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

  
21/04/20  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश